संख्या– 654/XVIII-(2)/2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास

देहरादूनः दिनांक 25 अक्टूबर, 2005

विषयः– प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत भूस्खलन से प्रभावित ग्रामों के पुनर्वासन हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1794/तेरह–16 (04–05) दिनांक 14.6.2005 एवं पत्र संख्या–2755/तेरह–16 (04–05) दिनांक 24.9.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद उत्तरकाशी के वरूणावत पर्वत भूस्खलन से प्रभावित 8 ग्रामों के 334 परिवारों के पुनर्वास हेतु उपलब्ध कराये गये मांग प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुये प्रति परिवार 3.60 लाख की दर से 334 परिवारों के पुनर्वास हेतु कुल रू0 12,02,40,000/(बारह करोड़ दो लाख चालीस हजार मात्र) की व्यय की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2– स्वीकृति धनराशि तीन किस्तों में निम्नानुसार वितरित की जायेगी–

1– प्रथम किस्त के रूप में रू0 1.10 लाख की धनराशि का भुगतान भूमि क्रय हेतु दिया जायेगा।

2– द्वितीय किस्त के रूप में रू0 1.10 लाख की धनराशि का भुगतान भवन निर्माण प्रारम्भ करने तथा छत स्तर तक पूर्ण करने पर किया जायेगा।

3– तृतीय एवं अंतिम किस्त के रूप में रू0 1.40 लाख का भुगतान भवन निर्माण करने, उसमें पुनर्वासित होने तथा प्रभावित भवन/भूमि को पूर्ण रूप से छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

3– प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य विकास अधिकारी को प्रभारी नामित किया जायेगा तथा मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय अथवा अन्य विभागों के लेखा संर्वग में सहायक लेखा अधिकारी (ए.ए.ओ) स्तर के अधिकारी को धनराशि के वितरण एवं लेखा के रख–रखाव के लिये सम्बद्ध किया जायेगा।

4– उक्त स्वीकृत धनराशि प्रभावित परिवारों/ व्यक्तियों में तत्काल वितरित की जायेगी। यह दायित्व जिलाधिकारी का होगा कि वे राहत सहायता के भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रभावित परिवारों को पूर्व में कोई गृह अनुदान वितरित नहीं किया गया है। यदि वितरित किया है तो वितरित धनराशि मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृत धनराशि से कम कर दी जायेगी। प्रभावितों में वितरित धनराशि का परिवार/ ग्रामवार विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.3.2006 तक शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

5– स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा जोखा रखा जायें तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिला अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायें। वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचत सम्भावित हो तो उसे दिनांक 31.3.2006 तक शासन को वापस कर दी जायेगी। उक्त तिथि को उपयोग की गई धनराशि के विपरीत मदवार भुगतान की गई धनराशि का विवरण शासन को दे दिया जायेगा।

6– स्वीकृत धनराशि का गलत वितरण/ उपयोग होने पर जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

7– व्यय धनराशि का कार्यालय महालेखाकार से सही मदों में पुस्तांकन कराया जायें और प्रत्येक तीन माह पर व्यय धनराशि के संबन्ध में कार्यालय महालेखाकार से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जायें ताकि आंकड़ों के मिलान की कार्यवाही का निरन्तर अनुश्रवण होता रहे।

8– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक अनुदान संख्या– 6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य भवन–आयोजनागत– 051– निर्माण–05– वरूणावत पर्वत उत्तरकाशी का स्थिरीकुरण (100% के.स.) –00–24–वृहत् निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या– 06/वित्त अनु0 5/2005 दिनांक 18 अक्टूबर, 2005 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
4– अपर सचिव, नियोजन विभाग।
5– कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
6– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
8– निजी सचिव, मा. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य आपदा राहत समिति, उत्तरांचल।
9– वित्त अनुभाग–5
10– धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव